सत्यमेव जयते

राजस्थान-सरकार

कायालय जिला कलेक्टर (भू.अ.) सिरोही

क्रमांक / भू.अ. / स्थापन / 2019 / दिनांक 15 / 07 / 2019

आदेश

राजस्थान भू–राजस्व (भू.अ.) नियम–1957 के नियम 4 एवं तत्पश्चात समय–समय पर जारी अधिसूचना / निर्देशो / परिपत्रों के अन्तर्गत एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के पत्रांक / प–14(50)RSMSSB / अर्थना / पटवार / पात्रता जांच– ।। / 2018 / 296 दिनांक 26–02–2019, 321 दिनांक 28.2.2019, 346 दिनांक 05–03–2019 व 729 दिनांक 28–03–2019 द्वारा पटवार सीधी भर्ती परीक्षा–2015 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र क्रमांक / राम / भू.अ. / परीक्षा / प–279 / 2017 / 8924–56 दिनांक 10–07–2019 के निम्नांकित 13 अभ्यर्थियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनल ट्रेनी) के रूप में पटवारी के पद पर वित्त विभाग (रूल्स डिविजन) राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक / एफ–15(1)एफडी / रूल्स / 2017 जयपुर दिनांक 30–10–2017 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration to Probationer Trainees) रूपये 14,600 / –प्रतिमाह एवं अधोलिखित शर्तो पर नियुक्ति दी जाती है–

S No	RNO	MERIT NO	NAME	FATHER NAME	D O B	HRZ RES	SEL CTG	TSP/ NTSP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	100084	2344	VIRENDRA KUMAR DUDI	SAYAR RAM	15-OCT-1992		OBCM	NTSP
2	102553	37973	LAXMI MEENA	DUNGA RAM MEENA	04-JUL-1997		STF	NTSP
3	108744	2170	DHANNA RAM CHOUDHARY	BHANWARA RAM CHOUDHARY	04-JUL-1994		OBCM	NTSP
4	119163	2277	HANSRAJ CHOUDHARY	RAMLAL CHOUDHARY	10-APR-1996		OBCM	NTSP
5	153661	86114	HEERA RAM	UMA RAM	01-DEC-1981	EX	OBCM	NTSP
6	154176	2297	HARU RAM	BHINYA RAM	11-AUG-1994		OBCM	NTSP
7	155954	16049	LOKESH KUMAR MEENA	RAM RAJ MEENA	02-SEP-1989		STM	NTSP
8	164903	2232	YOGESH KUMAR SHOBHAWAT	SHANKER LAL SHOBHAWAT	10-OCT-1994		OBCM	NTSP
9	165126	73467	SOHAN RAM	JAGMALARAM	01-JUL-1979	EX	OBCM	NTSP
10	165170	2212	KISHAN LAL YADAV	RAM KUNWAR YADAV	02-FEB-1991		OBCM	NTSP
11	165489	2240	SHOKAT ALI	ADAM KHAN	15-AUG-1995		OBCM	NTSP
12	195887	2310	VIKAS KUMAR	KRISHAN JANGIR	20-MAY-1995		OBCM	NTSP
13	210415	10665	RAJESH	RAM DAYAL	10-OCT-1992		SCM	NTSP

उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 14189 / 2017 संतोष राव बनाम सरकार व अन्य, 15198 / 2017 दौलतसिंह राठौड बनाम सरकार व अन्य, 15680 / 2017 रोहिताश योगी बनाम सरकार व अन्य, 16346 / 2017 विनोदकुमार बनाम सरकार व अन्य, 16346 / 2017 नरेन्द्रसिंह राजपूत बनाम सरकार व अन्य, 1 38 / 2017 बजरंगलाल सैनी बनाम सरकार व अन्य, 16538 / 2017 विनोदकुमार बनाम सरकार व अन्य, 17009 / 2017 कैलाश चन्द स्वामी बनाम सरकार व अन्य, 13333 / 2017 हीराराम बनाम सरकार व अन्य, 13327 / 2017 अमानाराम चौधरी बनाम सरकार व अन्य, 21426 / 2017 दशरथ चौहान बनाम सरकार व अन्य, 15962 / 2017 सोहनराम बनाम सरकार व अन्य, 2112 / 2018 कमलसिंह बनाम सरकार व अन्य, 2112 / 2018 लालसिंह बनाम सरकार व अन्य, 16263 / 2018 मेघा सक्सेना बनाम सरकार व अन्य, 12769 / 2018 अंतिम बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

1. यह नियुक्ति राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु (लैण्ड रिकॉडर्स) रूल्स,1957 के नियम–4 एवं तत्पश्चात् समय–समय पर जारी अधिसूचना /निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शासित होगी एवं इस पर समय–समय पर जारी किये गये निर्देश परिपत्र लागू होंगे।
2. उक्त चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 19.7.2019 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र (शैक्षिक योग्यता दस्तावेज अंकतालिका व प्रमाण पत्र , जन्म प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज) जो आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये है, उनकी मूल प्रति एवं सत्यापित प्रति साथ लेकर आना अनिवार्य है।
3. चयनित अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कार्यग्रहण से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. अभ्यर्थी को प्रशिक्षण हेतु पात्रता पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में सद्चरित्र होने पर ही समझी जायेगी। पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
5. राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षाणार्थियों को इस आशय का अनुबंध–पत्र (बॉंड) हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं अर्पण करनी होगी अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धनराशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।
6. नियुक्त सभी अभ्यर्थियों को दिनांक 19.7.2019 तक दस्तावेज सत्यापन एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात ही दिनांक 19.7.2019 को कार्यग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
7. दिनांक 19.08.2019 तक चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अवगत करा दिया जायेगा।
8. नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत यदि कोई अभ्यर्थी एक माह तक कार्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा ।
9. सद्चरित्र का प्रमाण पत्र जो 6 माह पहले का जारी किया हुआ नहीं हो एवं उस विश्वविद्यालय/स्कूल/कॉलेज के प्रधानाचार्य/मुख्य शिक्षा अधिकारी का जिसमें अन्तिम कक्षा में पढते थे का चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । (भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में सेवा निवृति प्रमाण पत्र जिसमें चरित्र का उल्लेख हो)
10. पटवार प्रशिक्षण दिनांक 22–07–2019 से प्रारम्भ होगा, इस हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जायेगें ।
11. प्रशिक्षण सत्र की अवधि 6 माह की होगी तथा सत्र की संपूर्ण अवधि में विभागीय परीक्षा देने हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी । इस अवधि में आपको राज. सरकार द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक देय होगा।
12. प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने व 2 वर्ष की परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने पर नियमानुसार पटवारी के पद की सेवाएं नियमित करने की कार्रवाई की जा सकेगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो उसकी सेवा नियमित नही की जायेगी।
13. प्रशिक्षण अवधि में कोई यात्रा–भत्ता एवं वेतनवृद्धि देय नहीं होगी ।
14. प्रशिक्षण शाला में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नही होने पर अभ्यर्थी को अपने रहने की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी।
15. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या/प–13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28–01–2004 एवं 23–04–2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो के अधीन सेवा एवं सेवा लाभ देय होगें ।
16. परीवीक्षाधीन अवधि में कलेंडर वर्ष में केवल 15 आकस्मिक अवकाश देय होगें। साथ ही कम अवधि होने की स्थिति में पूर्ण वर्ष के अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगें ।
17. परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्य असंतोषजनक या आचरण ठीक नहीं होने पर सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

जिला कलेक्टर (भू.अ.) सिरोही

क्रमांक/भू.अ./स्थापन/2019/ दिनांक 15/07/2019

i;frfyfi fuEu dks lwpukFkZ ,oa ikyukFkZ %&

1–श्रीमान निबंधक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

2–निदेशक महोदय राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर
3–सम्भागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर
4–उप निदेशक, डीओआईटी, सिरोही (राजीव गांधी सेवा केन्द्र) को भेजकर लेख है कि सिरोही जिले की वेबसाईट पर अपलोड करें।
5–जन सम्पर्क अधिकारी सिरोही को भेजकर लेख है कि सूचना समाचार पत्रों में निःशुल्क छपवाने की व्यवस्था करावें।
6–श्री / श्रीमती / सुश्री..
7–निजी पत्रावली श्री / श्रीमती / सुश्री...
8–गार्ड पत्रावली

जिला कलेक्टर (भू.अ.) सिरोही